01/09/2021 पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट वकील व रेस्पोंडेन्टस संख्या (2) की ओर से प्रतिनिधी उपस्थित। रेस्पोंडेन्टस 1/5 का समन बाद तामिल प्राप्त। कोई उपस्थित नहीं। आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5

उपखण्ड अधिकारी
रा... जिला-जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:29:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जारी
	म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई स्वीकार कर अपील पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया गया।	
	अपीलान्ट की अपील पर बहस सुनी गई पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया व बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 834 स्वीकृत दिनांक 05.12.2019 में नाबालिंग लीला पुत्र गोदा फौत होने से मृतक की वारिसान माता अजोरी पत्नी लीला का नाम दर्ज किया गया है। जबकि संलग्न दस्तावेज अनुसार अजोरी पत्नि गोदा का नाम दर्ज होना चाहिए था।	
	उक्त इन्द्राज के आधार पर जमाबंदी में इन्द्राज किया गया जो लीला पुत्र गोदा के फौत होने पर उनके वारीसान के अनुरूप नही है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण संख्या 834 में विधिक त्रुटि होने से राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती हेतु उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उक्त उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।	
	-: आदेश :-	
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जालेरा खुर्द	
	P.T.O.	
	उपखण्ड अधिकारी रानीवा... जिला-जालोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:29:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मुकदमा नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 834 स्वीकृत दिनांक 05.12.2019 को निरस्त किया जाता है, व उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी मे किये गये इन्द्राज भी प्रभाव शून्य घोषित किये जाते है। तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 834 को तहसीलदार रानीवाड़ा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप नाबालिग लीला पुत्र गोदा फौत होने से उक्त नामान्तरकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। निर्णय हरे बजलास सुनाया गया।	

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:29:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner